

To

The Joint Director Education


Kanpur Region Kanpur

Sub- Intimation letter regarding the school application made to C.B.S.E Delhi for seeking affiliation with the board

Sir,

With due respect we want to inform you that our school is already affiliated with the basic education department under state of Uttar Pradesh upto class VIII<sup>th</sup>. And we are filling an application to the C.B.S.E Delhi to get affiliation upto secondary level and according to the affiliation by laws we are sending the intimation letter along with the recognition letter of class VIII<sup>th</sup>.

So with warm regards we are thankful for your cooperation accordingly.



Principal 25-6-15  
J.S.M. Public School  
Kamalganj, Fatehgarh  
Distt. Farrukhabad (U.P)

पुस्तकालय  
केंद्र  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
केन्द्रीय पुस्तकालय  
केन्द्रीय पुस्तकालय

To,  
The Joint Director Education  
Kanpur Region Kanpur

Sub- Reminder letter for the intimation letter we had made you on date 25-06-2015.

Sir,

With due respect we would like to inform you that our school is already affiliated to the basic education department upto class VIII<sup>th</sup> and we had given application to the C.B.S.E Delhi for seeking affiliation upto secondary classes and according to its affiliation by laws we had intimated you about it n our letter dated 25-06-2015.

Sir we had got the correspondence letter from C.B.S.E dated 12-11-2015 regarding the intimation letter so we are giving the reminder letter for your kind consideration. With warm regards.

*S. S. Ahmed*  
  
J.S.M. Public School  
Kamalganj, Distt. Farrukhabad

21-11-15

Principal  
J.S.M. Public School  
Kamlganj, Fatehgarh  
Distt. Farrukhabad (U.P)

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
फानपुर मंडल फानपुर ।

सेवा में,

सचिव  
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केंद्र-2 समुदाय केंद्र प्रीति बिहार,  
नई दिल्ली ।


पत्रांक: सी०/ 210-226/एन०ओ०सी०/अनुबंध-प्रतिबन्ध/2017-18/दिनांक 04-01-2018

विषय :- जे०एस०एम० पब्लिक स्कूल कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद को सी०बी०एस०ई० से संबद्धता दौरान प्रतिबंध पालन हेतु विवरण एवं प्रमाण पत्र के संबंध में-

महोदय,

उपयुक्त विषय पर पूर्व में सीबीएससी द्वारा निर्धारित कार्यालय को सीबीएसई संबद्धता हेतु सूचना (इंटीमेशन लेटर) विद्यालय द्वारा रजिस्टर्ड सूचना प्राप्त कराया गया । सीबीएसई मान्यता क्रमांक 2132308 जेएसएम पब्लिक स्कूल कमालगंज फर्रुखाबाद संख्यांक /बेसिक /जूनियर हाईस्कूल अंग्रेजी माध्यम 1507-14/2017-18 दिनांक 06-06-2017 को अनापति प्रमाण पत्र दिए जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपति नहीं है ।

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी की समय समय पर नवीनीकरण कराया जाएगा ।
- 2- विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एवं सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10% स्थान अनुसूचित जाति /जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद /काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होगी होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संवाददाता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएंगे ।
- 5- संस्थान के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जाएगा ।
- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता भरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिए जाएगा ।

भवदीय  
संयुक्त-शिक्षा निदेशक  
कानपुर मंडल कानपुर

पृ०स०सी०/२/१-२३६/२०१७-१८

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव (माध्यमिक शिक्षा) उत्तर प्रदेश शासन शिक्षा अनुभाग-७ लखनऊ ।
- 2- जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद ।
- 3- शिक्षा निदेशक (मा०) उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय १८ पार्क रोड लखनऊ ।
- 4- जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद ।
- 5- निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 6- प्रबंधक / सचिव, जे० एस० एम० पब्लिक स्कूल कमालगंज जनपद फर्रुखाबाद ।
- 7- गार्ड फाइल

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
कानपुर मंडल कानपुर ।



Self Attested